न्यायालय अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली

श्री विरेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.) अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली

अपील संख्या – 50/2014

छीतरमल पुत्र कान्हा उम्र 71 वर्ष जाति रैगर निवासी लीलो का बास तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान

– अपीलार्थी

बनाम

1. तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान
2. श्रीमती भगवती देवी पत्नि छीत्तरमल
3. रामजीलाल पुत्र छीत्तरमल
4. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र छीत्तरमल
5. श्रवण कुमार पुत्र छीत्तरमल
6. अर्जुन पुत्र छीत्तरमल
7. किशनलाल पुत्र छीत्तरमल
8. मन्नी पुत्री छीत्तरमल

समस्त जाति रैगर निवासी लीलोकाबास तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान

– रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 139 स्वीकृत दिनांक 11.04.2008 ग्राम लीलो का बास तहसील विराटनगर जिला जयपुर

निर्णय

दिनांक : 14.7.15

वकील अपीलान्ट ने उक्त अपील पेश की जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व कान्हा पुत्र बालू ने साबिक आराजी खसरा नम्बर 185 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा ग्राम सुरपुरा तहसील विराटनगर बहिस्सा बराबर 1/2–1/2 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पूर्व खातेदार सोनिया पुत्र लादू जाट निवासी सुरपुरा तहसील विराटनगर से दिनांक 28.06.1976 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया व काबिज रहकर काश्त करते रहे। हाल सेटलमेन्ट में साबिक आराजी के हाल खसरा नम्बर 302/0.12, 303/0.51, 305/0.43, 306/0.23, 308/0.12 कुल किता 5 रकबा 1.41 हैक्टैयर नवीन राजस्व ग्राम लीलो का बास निर्धारित किये गये है। उसके पश्चात 1/2 भाग का खातेदार कान्हा पुत्र बालू का स्वर्गवास होने के उसके 1/2 भाग का विरासत नामान्तकरण उसके पुत्र बंशीधर, छीतरमल, बनवारीलाल, सुखचन्द, गोकूल चन्द, भगवान सहाय, रामेश्वर पुत्रान कानाराम, नारायणी पुत्री कानाराम के नाम हो गया व अपीलार्थी अपने 1/2 भाग की भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रत्यर्थीगण संख्या 2 लगायत 8 ने राजस्व कर्मचारियो से साज कर अपीलार्थी को मृतक बताकर उसका विरासत नामान्तकरण अपने नाम खुलवा लिया। जो निरस्त किये जाने योग्य है। छीतर पुत्र कान्हा के नाम से पंचायत के द्वारा कोई मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, इसलिए राजस्व कर्मचारियो

अपील कर नामान्तकरण स्वीकार करने में घोर कानूनी भूल की है। अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में छीतर पुत्र कान्हा हिस्सा 1/2 दर्ज है तथा मृतक छीतर पुत्र काना के नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है। आई.एल.आर. ने भी उक्त नामान्तकरण को 30 दिवस से अधिक समय से पेश किया, इसलिए भी उक्त नामान्तकरण खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जकार नामान्तकरण संख्या 139 दिनांक 11.04.2008 को अपास्त किया जाकर हाल खसरा नम्बर 302/0.12, 303/0.51, 305/0.43, 306/0.23, 308/0.12 कुल किता 5 रकबा 1.41 वाके ग्राम लीलो का बास के 1/2 हिस्से की खातेदारी अपीलार्थी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 जरिये वकील श्री अनिल कुमार कौशिक उपस्थित आये तथा अपने जबाब में निवेदन किया कि राजस्व कर्मचारियो की मानवीय भूल के कारण ही उक्त नामान्तकरण दर्ज हो गया। जिसकी जानकारी प्रत्यर्थीगण को तब हुई जब अपीलार्थी ने न्यायालय श्रीमान के समक्ष उक्त नामान्तकरण के खिलाफ अपील प्रस्तुत की। प्रत्यर्थीगण ने किसी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य नही किया है। अतः ज़बाब अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित आराजी मुतनाजा में अपीलार्थी का हिस्सा 1/2 होना सही है तथा शेष हिस्सा 1/2 अप्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 8 का रिकॉर्ड होना सही है। अपील के खिलाफ प्रत्यर्थीगण को कोई आपत्ति नही है।

हमने वकुलाऐ की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यो को दोहराते हुये अपील स्वीकर फरमाने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट ने इस पर कोई आपत्ति जाहिर नही करते हुये अपीलान्ट के कथनो पर सहमति जाहिर की।

हमने वकुलाये की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन नामान्तकरण विरासत का इन्तकाल है। जो राजस्व कर्मचारियो की भूल का परिणाम है तथा रेस्पोडेन्ट ने भी इसे स्वीकार किया है तथा अपील पर कोई आपत्ति जाहिर नही की है। इस स्थिति में अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होती है।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 139 दिनांक 11.04.2008 ग्राम लीलो का बास तहसील विराटनगर निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 302/0.12, 303/0.51, 305/0.43, 306/0.23, 308/0.12 कुल किता 5 रकबा 1.41 वाके ग्राम लीलो का बास तहसील विराटनगर के 1/2 हिस्से में से प्रत्यर्थीगण संख्या 2 लगायत 8 का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर अपीलान्ट का नाम दर्ज किया जावे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार विराटनगर के नाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.7.15 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)